Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों राजू, आदेश, अजीत व बिजेन्द्र को हुई 05-05 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-अजीत पुत्र सुक्खन, 2-आदेश पुत्र लोकेश, 3-बिजेन्द्र पुत्र धीरू व 4-राजू पुत्र किशन निवासीगण ग्राम खड्डा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 39/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों अजीत, आदेश, बिजेन्द्र, व राजू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

आरक्षी योगेश कोर्ट पैरोकार थाना चांदीनगर

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत **दिनांक 11.06.2025**

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 344/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किया हुया एक स्टार्टर, कटाऊट, एक पैंचकस, हथोडी (बिना बैंटा), कोपर की तार वजन करीब 4 किलो तथा एक अवैध चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2025 को थाना कोतवाली बड़ौत पर वादी श्री सन्सपाल पुत्र श्री बिजेपाल मास्टर निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दि कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की टयूबवैल से एक केबिल (बिजली का) एक बाल्टी, एक टयूब पानी वाली तथा वादी के पडौसी रामेश्वर पुत्र साधुराम शर्मा के टयूबवैल से टयूबवैल का केबिल तथा मांगेराम पुत्र अजब सिंह निवासी बिजरौल के टयूबवैल का एक केबिल व स्टार्टर चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 344/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 344/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से ट्यूबवैलों से चोरी किया हुआ एक स्टार्टर (लकडी

के फट्टे पर लगा हुआ), 01 कटाऊट, बैग में रखा एक पैंचकस, 01 हथोडी (बिना बैंटा), कोपर की तार वजन करीब 4 किलो तथा एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जुबैर पुत्र इमरान निवासी मौ0 पठानकोट अकबर मस्जिद के पास कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक स्टार्टर (लकडी के फट्टे पर लगा हुआ)
- 01 कटाऊट।
- एक पैंचकस।
- 01 हथोडी (बिना बैंटा)
- कोपर का तार वजन करीब 4 किलो।
- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-है0का0 633 रूस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
4-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
5-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 11.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र खुर्शीद निवासी बडका रोड पालिटेक्निक के सामने कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत।

2-है0का0 65 महीपाल थाना बड़ौत।

3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौता।
4-का0 1058 शरद यादव थाना बड़ौता।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 11.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 561/24 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.08.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 मंगलू निवासी पूर्व ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता- सैक्टर 73 सर्फाबाद पंडित कॉलोनी निकट श्रीराम पब्लिक स्कूल नोएडा 201304 ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.नरेश पुत्र जगवत उर्फ जग्गू, 2.भूरा पुत्र देवेन्द्र, 3.रविन्द्र पुत्र जग्गू, 4.अमित पुत्र रमेश, 5.जाँनी पुत्र रमेश, 6.अजय पुत्र जग्गू, 7.मनोज पुत्र जग्गू निवासीगण ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा आपराधिक षडयंत्र बनाकर सत्य को छुपाते हुए मृतक सोना पत्नी स्वर्गीय मंगलू के फर्जी हस्ताक्षर बैनामों पर करते हुए वर्ष 2022 में कई बैनामे अन्य व्यक्तियों के नाम पर कर दिये तथा श्रीमति प्रीति को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 561/24 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 561/24 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

नरेश पुत्र जगवत उर्फ जग्गू निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुप कुमार थाना बडौत।

2-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना बडौत।

3-है0का0 437 बलजीत कुमार थाना बडौत।

4-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 11.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पंकज पुत्र देवेन्द्र निवासी पट्टी जगमिरान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

2-का0 44 संजीव थाना बागपत जनपद बागपत।

3-का0 369 विशाल पंवार थाना बागपत जनपद बागपत।

4-का0 982 नीरज थाना बागपत जनपद बागपत।

5-का0 62 अरिब पठान थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली   दिनाँक 11.06.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 164/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 164/25 धारा 64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को दिनांक 08-06-2025 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरव उर्फ डाक्टर पुत्र संजय निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सौरव उर्फ डाक्टर का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 236/2021 धारा 354/354(ख)/452/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 164/25 धारा 64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

2-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 11.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र स्व0 सुरेश निवासी ग्राम खिंदौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
3-का0 1043 सुनील यादव थाना रमाला जनपद बागपत